तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. / 3632 / 2005 / जयपुर** **सरकार बनाम बद्रीनारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 16–10–2025

निर्णय

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 31–03–2005 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार चाकसू ने जरिए पत्रांक भूअ / 03 / 5803 दिनांक 06.08.03 से एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर, तृतीय जयपुर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम निमोडिया तहसील चाकसू में स्थित आराजी खसरा नं. 1300 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1312 रकबा 13 बिस्वा, किता 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा माफी मंदिर श्री रघुनाथजी साकिन देह के नाम दर्ज है तथा पुजारी का नाम गंगा पुत्र भैरू दर्ज है। उक्त भूमि से माफी मंदिर का नाम विलोपित कर वर्तमान जमाबंदी संवत 2059–62 ग्राम निमोडिया में हाल खसरा नंबर 1762 रकबा 0.17 है0, 1764 रकबा 0.16 हैक0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार मूर्ति अवयस्क में निहित है। इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13–12–1991 के तहत अप्रार्थी को किया गया हस्तान्तरण अवैद्य है। उक्त हस्तान्तरण अवैद्य होने के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. / 3632 / 2005 / जयपुर** **सरकार बनाम बद्रीनारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कारण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत जमाबंदी सं. 2059–2062 में दर्ज खातेदारी निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि को राजस्व अभिलेख में माफी मन्दिर, श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज करवायी जावे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय, जयपुर द्वारा उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को पुनः माफी मन्दिर, श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मण्डल में प्रेषित किया है।

अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। जो बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और मंदिर मूर्ति विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी बाबत अप्रार्थी के नाम दर्ज इन्द्राज निरस्त किये जाकर विवादग्रस्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 के फौत होने पर उनके

परिवार जनों के लिए नोटिस कार्यालय से प्रेषित किए गए। उसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः इसके वारिसान की तामील मानते हुए यह निर्णय किया जा रहा है। तामिल का पत्र भी उनके पुत्र राजाराम पुत्र रामकरण को तामिल करवाया गया है। इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित नहीं हुआ है। अतः उन्हें अनुपस्थित मानते हुए पत्रावली निर्णित की जा रही है।

रामकरण के कायम मुकामान छोटी देवी, कैलाशचन्द्र, राजाराम, रामबाबू सीता, गीता, दिनेश कुमार को भी कार्यालय से पत्र तामिल हेतु जारी किया गया है जिसमें छोटी देवी का नोटिस सीताराम पुत्र रामकरण, कैलाश का नोटिस सीताराम पुत्र रामकरण, राजाराम का नोटिस सीताराम पुत्र रामकरण, रामबाबू का नोटिस सीताराम पुत्र रामकरण, सीतराम का नोटिस स्वयं सीताराम एवं दिनेश कुमार का नोटिस सीताराम पुत्र रामकरण, सीता पुत्री कल्याण का का नोटिस सीताराम पुत्र रामकरण और गीता का नोटिस भी सीताराम पुत्र रामकरण, को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार बद्रीनारायण का नोटिस पप्पूलान पुत्र घीसा एवं राजाराम पुत्र रामनारायण की उपस्थिति में खुल मकान पर चस्पा किया गया। गवाह के रूप में इनके हस्ताक्षर करवाए गए हैं। शेष सभी नोटिस पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि पक्षकार स्वयं जान–बूझकर न्यायालय में नोटिस देने के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहा है और बार–बार न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

बद्रीनारायण को नोटिस प्रेषित किए गए उनकी ओर से न वे स्वयं अथवा अधिवक्ता बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बंदोबस्त जमाबंदी संवत् 2016–2023 कॉलम संख्या 3 में ठा. हरिसिंह जी मौजूदा खालसा एवं कॉलम संख्या 4 में माफी मंदिर श्री रघुनाथजी बहतमाम पुजारी गंगा पुत्र भैरू कौम पुरोहित तथा कॉलम संख्या 5 में कृषक कल्याण पुत्र चमना का अंकन है। इससे यह प्रमाणित है कि विवादग्रस्त आराजी संवत 2017–2023 में ही मंदिर के नाम थी। यह स्वीकृत सिद्धांत है कि मंदिर शाश्वत अव्यस्क है और अव्यस्क की भूमि पर किसी को भी अधिकारों का सृजन नहीं हो सकता।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ग्राम निमोडिया तहसील चाकसू में स्थित आराजी खसरा नं. 1300 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1312 रकबा 13 बिस्वा, किता 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा माफी मंदिर श्री रघुनाथजी साकिन देह के नाम दर्ज है तथा पुजारी का नाम गंगा पुत्र भैरू दर्ज है। उक्त भूमि से माफी मंदिर का नाम विलोपित कर वर्तमान जमाबंदी संवत 2059–62 ग्राम निमोडिया में हाल खसरा नंबर 1762 रकबा 0.17 है0, 1764 रकबा 0.16 हैक0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। इस प्रकार मूर्ति मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. / 3632 / 2005 / जयपुर** **सरकार बनाम बद्रीनारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व विधि में मूर्ति मंदिर को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थी के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अतः विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज होने से निरस्तनीय है।

अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2059–62 ग्राम निमोडिया में हाल खसरा नंबर 1762 रकबा 0.17 हैक0, 1764 रकबा 0.16 हैक0 भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज अंकन को विलोपित किया जाकर उक्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी स्थान देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य